# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

विज्ञापन संख्याः–01 / 2013 दिनांक 06.06.2013

## <u>विज्ञप्ति</u>

### <u>तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती–2013</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1. | | कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम –1971 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में जिलेवार निर्धारित कुल 766 तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक (पे–बैण्ड 5200–20200 व ग्रेड पे –2400) के पदों पर सीधी भर्ती 2013 के लिए जिलेवार भर्ती हेतु निर्धारित आन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। |
| | | <u>विशेष नोटः–</u> |
| | I | Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबुझकर भ्रामक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आवेदक के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी। |
| | II | विज्ञापित पदों में कमी या बढोतरी की जा सकती है, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। |
| | III | आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी। |
| | IV | जिलेवार निर्धारित पदों का विवरण– संलग्क 1 में देखें। |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | | आवेदन प्रकिया–<br><br>आवेदन Online Application Form में लिये जायेगें जिन्हें राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र ( C.S.C. ) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 10/– ऑनलाईन फीस जमा कराने तथा रूपये 30/– आवेदन पत्र ऑन लाईन करने हेतु अर्थात कुल रूपये 40/–अक्षरे रूपये चालीस मात्र की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। **हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगे।**<br><br>**नोटः**<br><br>अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तथा फोटो प्रति सुरक्षित रखे। ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट **संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम कार्यालय** में दस्तावेजों के साथ सत्यापन के समय जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रति के अभाव में आवेदक का ऑन लाईन आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम द्वारा अस्वीकार कर दिया जावेगा। **अलग अलग जिलों के लिये अलग अलग जिलेवार आवेदन करने होगे।** |
| 3. | | आवेदन शुल्क<br><br>आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क **अथवा** नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) में जमा करायेगा । |
| | क | सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गो के आवेदक हेतु रूपये 250/–(रूपये दो सौ पचास मात्र) |
| | ख | राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा नोन क्रीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गो के आवेदन हेतु रूपये 150/–( रूपये एक सौ पचास मात्र) |
| | ग | समस्त निःशक्तजन एवं टी.एस.पी.एरिया के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बारां जिले की सहरिया जनजाति के आवेदन हेतु रूपये 75/–( रूपये पिचहत्तर मात्र) |
| | घ | राजस्थान के बाहर के सभी वर्गों के आवेदकों हेतु रूपये 250/–(रूपये दो सौ पचास मात्र) |

| | | |
|---|---|---|
| | I | <u>नोटः</u><br><br>ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदन पत्र तथा विज्ञप्ति का प्रारूप वेबसाईट http://labasstt.rajshiksha.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करलें और उसे ऑनलाईन भरने से पूर्व हाथ से भरले ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा। |
| | II | आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्टआउट लेकर आश्वस्त हो लेवे कि सभी प्रविष्टियॉ सही भरी गई है। जो अभ्यर्थी Blind/Low visionदृष्टि दोष/कम दृष्टि श्रेणी में आवेदन कर रहे है, उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऑनलाईन भरे गये आवेदन को उन्होनें पूर्ण रूप से सही सुन एवं समझ लिया है। एतदर्थ पुष्टि स्वरूप ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर उस पर अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के हस्ताक्षर (मय नाम व पता) करवाकर ई–मित्र/सी.एस.सी.के संचालक को जमा करायेंगें। |
| | III | आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) की सूची वेबसाईट http://labasstt.rajshiksha.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। |
| 4. | | <u>तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों का विवरणः–</u><br><br>माध्यमिक शिक्षा के अधीन तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के पद की सम्भावित जिलेवार रिक्तियों की कुल संख्या 766 है। जिलेवार विवरण संलग्नक–1 में है।<br><br>उक्त रिक्तियों में आरक्षण नियमानुसार देय है। |
| 5. | | <u>शैक्षणिक (न्यूनतम) योग्यताः–</u><br><br>आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित कर ली गई हो। निर्धारित न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार हैः–<br><br>आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर हायर सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी (बोर्ड) केवल विज्ञान ऐच्छिक विषयों के साथ या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | | **आरक्षणः—** |
| | | उक्त रिक्तियों में आरक्षण नियमानुसार देय है। |
| | | तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक भर्ती में 12.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिको के लिये तथा 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये नियमानुसार पद आरक्षित रहेगें। यह आरक्षण दण्डवत होगा एवं वर्गानुसार पद भरे जायेगें, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जावेगा। । उत्कृष्ट खिलाड़ियों से तात्पर्य निम्न प्रकार से है— |
| | 1 | स्पष्टीकरणः— "उत्कृष्ट खिलाड़ियों'" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने—<br>(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,<br>या<br>(ii) इंण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,<br>या<br>(iii)इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,<br>या<br>(iv)इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा मे मेडल जीता हो, |
| | 2 | भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, जलसेना, वायुसेना के किसी भी रैक में, योद्वक या योद्वक—भिन्न के रूप में सेवा की हो औरः— |

| | | |
|---|---|---|
| | i | जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवा निवृत हुआ हो,या |
| | ii | जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण,जो उसके नियत्रंण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोक्ता पेंशन प्रदान की गयी हो,या |
| | iii | जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन से कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या |
| | iv | जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवा निवृति उपादान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गो के कार्मिक भी सम्मिलित है :— <br>(i) लगातार इम्बाडिड ( Embodied) सेवा के पेन्शनधारक, <br>(ii) सैन्य सेवा के लिए निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति, <br>(iii) वीरता पुरस्कार विजेता , |
| 7. | i <br>(अ) <br><br>(ब) | **निःशक्त व्यक्तियों के लियेः—** <br>राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकरों का संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी ) नियम 2011 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। <br><br>निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जावेगा। |
| | (स) | निःशक्तजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का उल्लेख करें। |
| | (द) | ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी मे आते है, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों को (सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी) द्वारा प्रदत्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | निःशक्तता का उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी )नियम 2011 के अनुसार मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्त्ता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। |
| | (य) | निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से भरा नही जा सकता हो, वहॉ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा। |
| | (र) | उक्त पद हेतु, राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी )नियम 2011 के नियम 36 के अनुसार भारत सरकार द्वारा सैक्शन 32 के अन्तर्गत किये गये पदों के चिन्हितिकरण में अभिव्यक्त निशक्तता की श्रेणी के आधार पर, निःशक्तजन हेतु आरक्षण रहेगा। |
| | (ल) | विज्ञापित रिक्तियों में महिलाओं हेतु आरक्षण 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियो का आरक्षण दण्डवत (horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण संबधित प्रवर्ग में जिसकी महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।<br><br>**<u>स्पष्टीकरणः–</u>**<br><br>अ–किसी वर्ग (समान्य/अ.जा./अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग–विशेष पिछड़ा वर्ग (नोन क्रीमीलेयर) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पद के उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। अन्य पिछडा वर्ग के केटेगरी मे आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नोनक्रीमीलियर का विधि मान्य नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।<br><br>ब–महिलाओ के लिये आरक्षित दर्शाये गये 30 प्रतिशत पदों में से नियमानुसार 10 प्रतिशत प्रवर्गानुसार आरक्षण (8 प्रतिशत +2 प्रतिशत=10प्रतिशत) विधवा एवं परित्यक्ता (विछिन्न विवाह महिला) के लिये शेष 20 प्रतिशत आरक्षण अन्य |

| | | |
|---|---|---|
| | | महिलाओं के लिये है। किसी वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा / परित्यक्ता महिला (विछिन्न विवाह महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।<br><br>स– मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के मामलों मे न्यायालय की तलाक की डिक्री अथवा तलाक नामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाक नामा भी मान्य होगा,परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करे, एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। |
| | (ii) | राजस्थान राज्य से बाहर के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधि मान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त वर्ग हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति नियमानुसार पात्र माना जायेगा, अन्यथा आवेदक का अनारक्षित पदों के प्रति नियमानुसार विचार हेतु पात्र माना जायेगा। |
| | (iii) | विज्ञापित पदों मे राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रनीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा। |
| | (iv) | राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्गो (नोन क्रिमिलेयर) उत्कृष्ट खिलाडियों तथा भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा। |
| | (v) | राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के प्रति विचार के पात्र होंगे। |
| | (vi) | राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP AREA) के आरक्षित पद जिला (बांसवाड़ा/डूगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही) के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों से भरे जायेगें। जिला (बांसवाड़ा/डूगरपुर/प्रतापगढ/ |

| | | |
|---|---|---|
| | | उदयपुर / सिरोही) के टी.एस.पी. क्षेत्र के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST.TSP.AREA) उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान राज्य के अन्य जिलो के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA ) के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (S.T.-TSP AREA) से भरे जा सकेगें। |
| | (vii) | राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.5.2013 के अनुसार बारां जिले में 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जावेगी। अनुसूचित जनजाति के 6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों के लिये 8 प्रतिशत, पिछडी वर्ग की जातियों के लिये 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछडा वर्ग की जातियो के लिये 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्ययाधीन रहेगी ।<br>**नोट :–**<br>**क्रिमिलियर में नहीं होने का सम्बन्धित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा एक बार क्रिमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमिलियर में नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है अर्थात् क्रिमिलियर में नहीं होने बाबत जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को जारी होने की तिथि से 3 वर्ष (अधिकतम) तक मान्यता दी जा सकेगी ।** |
| 8. | | **वेतनमानः–**<br>राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन) नियम–2008 के नियम 21 की अनुसूची के अनुसार परीवीक्षा काल में नियत फिक्स पारिश्रमिक रू. 7900 / – प्रतिमाह देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता,महंगाई भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। पूर्व में संस्थाई सेवारत अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतनमान में वेतन (लाभदायक होने पर)फिक्स पारिश्रमिक के रूप में दिया जायेगा एवं नियमानुसार वेतन पर देय भत्ते देय होगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन अवधि में विद्यमान वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।<br><br>परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम में निहित संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड पे 2400 वेतन देय होगा। दिनांक 01.01..2004 से नई भर्ती / नियुक्ति होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | | **आयु** :– राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार आवेदक दिनांक 1.1. 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तुक यह कि–<br>**राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(6)कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के क्रम में जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।**<br>**निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नांकित विवरणानुसार आयु सीमा में छूट देय है:–**<br>i. अनु.जाति/अनुसूचित जन जाति./पिछड़ावर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है।<br>ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है।<br>iii. राजस्थान की अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ावर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट देय है।<br>iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, परंतु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में अधिकतम आयुसीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।<br>v. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नहीं होगी।<br>**स्पष्टीकरण** : विधवा अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा अभ्यार्थी को नियमानुकूल तलाक का सबूत (सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा काजी द्वारा जारी तलाकनामा मय दो स्वतन्त्र साक्षियो के शपथ पत्र सहित, जो भी लागू हो) देना होगा।<br>vi. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थायी(सब्सटेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष होगी।<br>vii. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक(सब्सटेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयुसीमा लागू नहीं होगी।<br>viii. अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।<br>ix. कैडेट अनुदेशकों को अधिकतम आयुसीमा में उतने ही काल की छूट दी |

| | | |
|---|---|---|
| | | जायेगी, जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी और यदि पारिणामिक आयु अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयुसीमा में ही समझा जायेगा।<br>x. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर, उपक्रमों, निगमों के कार्यकलापों के सम्बंध में स्थायी रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष होगी।<br>xi. निर्मुक्त आपात कमीशंड अधिकारियों/लघु सेवा में कमीशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय, चाहे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जायेगा।<br>xii. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में सामान्य वर्ग के विकलांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विकलांग अभ्यर्थियों को 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकलांग अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट देय है।<br>**नोटः**<br>1. उपरोक्त पैरा के प्रावधान (i) से (xii) तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान Non cumulative है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधनों को जोडकर छूट का लाभ देय नहीं होगा ।<br>2. उपरोक्तानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध होगा । |
| 10 | | **अनापत्ति प्रमाण पत्र–**<br>जो आवेदक पूर्व से नियोजित है, तो उन्हें इस पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सूचना नियोजक को देते हुए नियोजक के द्वारा प्रदत्त अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में तुरंत प्रभाव से उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी। |
| 11 | | राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधानानुसार पद पर नियुक्ति के समय आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवेदक को नियुक्ति पर कार्यग्रहण के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। |
| 12 | | राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधानानुसार पद पर नियुक्ति |

| | | |
|---|---|---|
| | | के समय आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन हेतु योग्य बनाए। राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधानानुसार पद पर नियुक्ति पर कार्यग्रहण के समय आवेदक को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। |
| 10 | | नियुक्ति हेतु निरर्हता |
| | i | ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानो की संख्या में बढोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी। |
| | ii | किसी भी ऐसे पुरूष आवदेक को, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है। |
| | iii | किसी भी ऐसी महिला आवदेक को, जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है। |
| | iv | किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | | <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक</u> :<br>ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 1.7.2013 को रात्रि 11:30 बजे तक है। इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें। शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक 30.6.2013 सायंकाल 6.00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् आवेदन शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। |
| 12 | | चयन का आधारः–<br>(अ) शैक्षणिक योग्यता<br>आवेदक का चयन सीनियर हायर सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा विज्ञान ऐच्छिक विषयों के साथ कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार किया जायेगा।<br>स्पष्टीकरण :–<br>(अ) जहां कही अंको का प्रतिशत सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में अभ्यर्थी को दी गई ग्रेड में Cumulative Grade Point Average (CGPA) के आधार पर प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस हेतु संबंधित शिक्षा बोर्ड के निर्देशों/प्रतिशत सूत्र के आधार पर प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा।<br>तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के पद पर शैक्षणिक योग्यता सीनियर हायर सैकेण्डरी/हायर सैकण्डरी परीक्षा विज्ञान ऐच्छिक विषयों के साथ के प्राप्तांक ही चयन का आधार होगा। न्यूनतम योग्यता के अलावा अन्य उच्चतर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक वरीयता निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं होंगे।<br><br>(ब) समान मैरिट होने पर चयन बाबत मानदण्डः–<br>समान वरियता प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान कुल प्राप्तांक प्रतिशत होने पर इन अभ्यर्थियों विज्ञान ऐच्छिक विषयों में अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | | **आवेदन कैसे करेः–** |
| | 1. | अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करने से पूर्व निम्नानुसार तैयारी रखे। |
| | (अ) | आवेदक अपनी पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो JPG, JPEG, GIF, PNG (अधिकतम 50 के.बी. की स्केन करे)<br>स्केन की गयी नई रंगीन फोटो JPG, JPEG, GIF, PNG को अपलोड करें। |
| | (ब) | आवेदक अपने हस्ताक्षर (अधिकतम 50 के.बी.) स्केन कर अपलोड करे। |
| | (स) | इसके साथ निम्न दस्तावेज भी स्केन कर<br>अपलोड करवाये जावेः–<br>(i) जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र।<br>(ii) सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका (जिन आवेदको को बोर्ड द्वारा ग्रेड प्रदान की गई है ऐसे आवेदक अंक तालिका का अग्र एवं पृष्ठ भाग की स्केन प्रति ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगें।) |
| | (द) | आवेदक वेबसाईट http://labasstt.rajshiksha.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करने की लिये उपलब्ध दिशा–निर्देशों का सावधानी से अवलोकन करें। |
| | (य) | आवेदन पत्र प्राप्तिः– तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाईट http://labasstt.rajshiksha.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। |
| | (र) | **ऑनलाईन आवेदन करनाः–** आवेदक आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टिया की ऑन लाईन सही पूर्ति करें। आवेदक को उसके द्वारा दिये गये ई–मेल आई.डी. ⁄मोबाईल नं.पर संदेश (एस.एम.एस.) द्वारा दस्तावेज जांच हेतु उपतिस्थत होने की सूचना दी जा सकेगी। अतः आवेदक अपना मोबाईल नं.⁄ईमेल आई.डी. अंकित करें।<br>आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क नियमानुसार आवेदन शुल्क राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क अथवा नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) में जमा करवायेगा। |
| | (ल) | अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रस्तुत करें। |
| | (व) | **(i) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र में एडिटिंग की अनुमति नहीं है।** आवेदन पत्र हेतु परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद में दर्ज विवरण (नाम,पिता का नाम ,जन्मतिथि,मूल निवास ,श्रेणी तथा आवेदित जिले का नाम) के बारे में सुनिश्चितता कर ले, क्योंकि फीस जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण ही आनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज होगा । अभ्यर्थी फीस जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उक्त रसीद को उसी दिन निरस्त कर सही विवरण दर्ज कराते हुवे आवेदक नये सिरे से रसीद प्राप्त कर सकेगा। रसीद जमा कराने की तिथि के पश्चातवर्ती दिवसों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अभ्यार्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें । ऑनलाईन सबमिट के पश्चात् श्रेणी परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा ।<br>(ii) आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक दिन अर्थात दिनांक 30.06.2013 को सांय 6.00 बजे तक ही शुल्क जमा करवा सकेगें। उक्त अवधि के बाद शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलबध नहीं होगी।<br>(iii) आवेदक द्वारा अन्तिम बार भरा हुआ ऑनलाईन फार्म ही मान्य होगा । |
| 14. | | <u>प्रमाण पत्रो का सत्यापनः–</u><br>दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम, में ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति *मय आपलोड किये गये दस्तावेज (सैकण्डरी अंकतालिका की मूल प्रति, सैकण्डरी प्रमाण पत्र की मूल प्रति , अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति ) निर्धारित तिथि को* प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हताओं एवं वर्ग विशेष (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्गो/निःशक्तजन) से संबंधित प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी। वर्ग विशेष (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्गो/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगाः– |

| | | |
|---|---|---|
| | (अ) | जाति प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है। |
| | (ब) | अन्य पिछडा वर्गो के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर/नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही सही एवं पूर्ण भरी गई हो। इस हेतु आवेदक को विधि मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। |
| | (स) | अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछडा वर्गो /निःशक्त जन का प्रमाण पत्र ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म में प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये। राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्गो के क्रीमिलेयर एवं राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि मान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, उनको उस वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों हेतु आवेदन का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आनलाईन आवेदन पत्र पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। अन्य पिछडा वर्गो का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात जारी (विधि मान्य) किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्गो की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। |
| | (द) | अ.जा./अ.ज.जा की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। |
| | (य) | निःशक्तजन का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तजन की चिन्हित श्रेणी एवं निःशक्तता के प्रतिशत का अवश्य उल्लेख हो, जो कि ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये। |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | | **विस्तृत आवेदन पत्र जमा कराना:–**<br>विस्तृत आवेदन पत्र उन अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें प्रोविजनल मैरिट में स्थान प्राप्त करने पर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि को विस्तृत आवेदन पत्र मय सम्यक दस्तावेज तथा मूल प्रमाणपत्रों सहित प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जावेगी। ऐसे आवेदकों को सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक /माध्यमिक प्रथम शिक्षा कार्यालय को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विस्तृत आवेदन पत्र तथा मूल दस्तावेज जांच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। विस्तृत आवेदन पत्र व चैकलिस्ट का प्रारूप वेबसाईट http://labasstt.rajshiksha.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर लेवें। |

# तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती–2013

## वर्गवार पदों का विवरण

| क्र.स. | जिला | कुल रिक्त पद | विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला बॅाय/सेवक हेतु निर्धारित 12.5 प्रतिशत पद | विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु सुरक्षित रखे गये पद | शेष पद | सामान्य वर्ग | | | | अनुसूचित जाति | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अन्य पिछडा वर्ग | | | | सहरिया | | | | कुल योग (7 से 26) | निःशक्तजन हेतु श्रेणीवार निर्धारित पद | भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित पद | उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 2 प्रतिशत पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| 1 | अजमेर | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | अलवर | 45 | 6 | 2 | 37 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | बासवाड़ा | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | बारां | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | बाड़मेर | 25 | 3 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | भरतपुर | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | भीलवाड़ा | 28 | 3 | 1 | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | बीकानेर | 28 | 3 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | बूंदी | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | चित्तौड़गढ | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | चूरू | 38 | 4 | 1 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | दौसा | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | धौलपुर | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | डूँगरपुर | 24 | 3 | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | गंगानगर | 24 | 3 | 1 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | हनुमानगढ़ | 27 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | जयपुर | 60 | 7 | 3 | 50 | 17 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 6 | 1 |
| 18 | जैसलमेर | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | जालौर | 24 | 3 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |

| क.स. | जिला | कुल रिक्त पद | विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला बॉय/सेवक हेतु निर्धारित 12.5 प्रतिशत पद | विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु सुरक्षित रखे गये पद | शेष पद | सामान्य वर्ग | | | | अनुसूचित जाति | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अन्य पिछडा वर्ग | | | | सहरिया | | | | कुल योग (7 से 26) | निःशक्तजन हेतु श्रेणीवार निर्धारित पद | भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित पद | उत्कृष्ट खिलाडी हेतु 2 प्रतिशत पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| 20 | झालावाड़ | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | झुन्झुनु | 45 | 6 | 2 | 37 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | जोधपुर | 41 | 5 | 1 | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | करौली | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | कोटा | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | नागौर | 33 | 4 | 0 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | पाली | 27 | 3 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | प्रतापगढ़ | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | राजसमंद | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | सवाई माधोपुर | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | सीकर | 38 | 4 | 2 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | सिरोही | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | टोंक | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | उदयपुर | 32 | 4 | 1 | 27 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| | **कुल योग** | **766** | **90** | **23** | **653** | **241** | **78** | **23** | **0** | **72** | **21** | **2** | **0** | **77** | **15** | **1** | **0** | **87** | **29** | **4** | **0** | **2** | **1** | **0** | **0** | **653** | **13** | **66** | **5** |